बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–मो० –18/18(सांख्यिकी) 5332 /कृ0, पटना, दिनांक 31/10/2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार(भा० प्र० से०)
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय : **वर्ष 2018–19 में अनियमित मॉनसून/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति के कारण खरीफ 2018 एवं रबी 2018–19 मौसम में डीजल अनुदान वितरण हेतु डीजल क्रय करने की तिथि में विस्तार के संबंध में।**

प्रसंग : कृषि विभाग, बिहार, पटना का स्वीकृत्यादेश संख्या 2619 दिनांक 06.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि वर्ष 2018–19 में अनियमित मॉनसून/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति के कारण खरीफ 2018 एवं रबी 2018–19 मौसम में डीजल अनुदान वितरण हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या 2619 दिनांक 06.07.2018 में डीजल क्रय करने की तिथि के सम्बन्ध में कंडिका 11 एवं 12 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :–

कंडिका 11 : खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 15 नवम्बर 2018 तक डीजल क्रय करने पर यह अनुदान देय होगा। 25 नवम्बर 2018 तक सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अनिवार्य रूप से सभी किसानों के आवेदन का सत्यापन करेंगे। 10 दिसम्बर 2018 तक सभी दावे का भुगतान कर दिया जायेगा।

कंडिका 12 : रबी फसलों की सिंचाई के लिए 16 नवम्बर 2018 से 7 मार्च 2019 तक क्रय किये गये डीजल के विरूद्ध अनुदान अनुमान्य किया जायेगा। 15 मार्च 2019 तक सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अनिवार्य रूप से सभी दावे का सत्यापन करेंगे। 31 मार्च 2019 तक सभी दावे का भुगतान कर दिया जायेगा। इस प्रकार से सभी दावे का भुगतान वित्तीय वर्ष के अधीन सुनिश्चित हो जायेगा।

अन्य कंडिका यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन
30.10.2018
(सुधीर कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 5332 /कृ0, पटना, दिनांक 31/10/2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.10.2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 5332 /कृ0, पटना, दिनांक 31/10/2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट भाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.10.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 5332 /कृ0, पटना, दिनांक 31/10/2018

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.10.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 5332 /कृ0, पटना, दिनांक 31/10/2018

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.10.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – मो०–18/2018 5332 /कृ0, पटना, दिनांक 31/10/2018

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक(शष्य), प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/ संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी सहायक निदेशक(उद्यान)/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक(शष्य), प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना/प्रभारी पदा०, डी० बी० टी० कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु प्रेषित।

30.10.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।